(सिपाही भर्ती) का कार्यालय

13 FEB 2015

सं०........................

बिहार, पटना

पत्र संख्या–11/आ0–न्याय–10/2014 सा0प्र0..2268..

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना–15, दिनांक..10.2.15..

विषयः– जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्रों में प्रमाण–पत्र धारक के माता एवं पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर डब्ल्यू0पी0सी0 संख्या–576/2014, माधव कान्त मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में याचिकाकर्त्ता द्वारा किया गया अनुरोध निम्नांकित है :–

"Petition under Article 32 of the Constitution of India for issuance of a writ mandamus to all the respondents to issue appropriate ordinaces/orders to every statutory/authorities, local bodies institutions and all concerns to record the paternity of mother of every person compulsory and in future the paternity of mother with the name of every person should be mandatory and the paternity of father should be optional for everyone with affidavit."

विदित हो कि यह मामला माननीय उच्चतम् न्यायालय में अभी विचाराधीन है, जिसमें याचिकाकर्त्ता द्वारा सभी प्रकार के अभिलेखों में माता का नाम आवश्यक रूप से दर्ज करने तथा पिता के नाम के उल्लेख को ऐच्छिक बनाने की माँग की गई है।

विचार–विमर्श के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि कल्याणकारी सरकार होने के नाते व्यवहारिक रूप से यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है, क्योंकि महिला विशेष के परित्यकतता हो जाने के कारण अन्यत्र विवाह कर लेने की स्थिति में पहले पति से उत्पन्न संतान को पिता का नाम दिये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जबकि किसी भी स्थिति में माता नहीं बदलती है।

OSD
This may be uploaded on CSBC website.
20/2/15

FILE PATH-D/NAVLESH – HINDI LETEER

अतः सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्रों में प्रमाण पत्र धारक के नाम के साथ उनके माता एवं पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

नयी व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी तथा नियमानुसार पूर्व निर्गत सभी प्रमाण–पत्र मान्य होगे। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/NAVLESH – HINDI LETTER